सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटन हेतु प्रपत्र

(म.प्र. प्रदेश वित्त विभाग क्र. एफ.बी.9–24/73/आर–।।/ष्ट दिनांक 10.9.75)

कार्यालय का नाम : .....

लेखाशीर्ष ...../कोषालय..... जिसके अंतर्गत अभिदाता के वेतन एवं भत्ते दर्ज किये जाते है ।

निधि का नाम : सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि **(जो लागू नहीं हो कृपया उसे काट दें)**

स.क्र.	अभिदाता का पूरा नाम हिन्दी एवं अंग्रेजी में	अभिदाता के पिता/पति का नाम	अभिदाता की जन्म तिथि	शासकीय सेवा प्रारंभ की तिथि
1	2	3	4	5

पदनाम एवं श्रेणी (ए ष्ए ष्ष्ए ष्ट)	मूल वेतन	मासिक कटौत्रे की दर	कटौत्रे प्रारंभ होने का माह	रिमार्क (अभिदाता स्थायी अथवा अस्थाई)	लेखा क्रमांक (महालेखाकार कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)
6	7	8	9	10	11

क्रमांक	दिनांक	क्रमांक	दिनांक
कार्यालय महालेखाकार को दो प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । शासकीय कर्मचारी जिनका नाम उक्त पत्रक में दर्शाया गया है वे म.प्र. शासन के सा.भ.नि. नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य होंगे । जिन कर्मचारियों का नाम इस प्रपत्र में दर्शाया गया है वे पूर्व में किसी भी निधि के सदस्य नहीं है । हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा आहरण अधिकारी		कार्यालय ..... को वापिस कर लेख है कि अभिदाताओं को आवंटित लेखाक्रमांक उनको सूचित करे एवं सेवापुस्तिका एवं अभिलेखों में इसका इंद्राज करें । भविष्य में सा.भ.नि. से संबंधित कोई भी पत्राचार करते समय अभिदाता के लेखा क्रमांक का अनिवार्यतः उल्लेख करें । लेखा अधिकारी कार्यालय महालेखाकार (ले/ह)–प्रथम, म.प्र.	